न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर जिला जयपुर 2019/00402

फर्द अहकाम

नानूराम बनाम रघुनाथ

208/19

क्रमांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/2 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/ कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 9/2/21 को पेश हो।	
	9/2/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] पत्रावली पूर्व [illegible] दिनांक 26/2/21 को पेश हो।	
	26/2/21 पत्रावली [illegible] वकुलाय [illegible] कन्डोलेन्स/ कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/3/21 को पेश हो।	
	25/3/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नही है व वादी स्वयं उपस्थित है न्यायालय समय तक रुके काफी देर आवाजे लगवाई गयी परन्तु ना तो वादी स्वयं उपस्थित हुआ ना ही उनकी ओर से कोई वकील आदि उपस्थित हुए है अतः वादी वाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से बाद होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर जयपुर जिला जयपुर